



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-21112020-223205
CG-DI.-W-21112020-223205

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 35] नई दिल्ली, नवम्बर 8—नवम्बर 14, 2020, शनिवार / कार्तिक 17—कार्तिक 23, 1942
No. 35] NEW DELHI, NOVEMBER 8—NOVEMBER 14, 2020, SATURDAY/KARTIKA 17—KARTIKA 23, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 160.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के पैरामूक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा, स्वयं कानून के सिवाय अधिनियम करने हुए, जिन्हें ऐसे अधिनियम से पूर्व किया गया है या करने का लक्ष्य किया गया है, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कर्गोली (बर्ग III और बर्ग IV पर) भर्ती नियम, 1965 को, जहाँ तक इसका संबंध तकनीकी पर्यवेक्षक (विद्युत) से है, नियमों को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कर्गोली, तकनीकी पर्यवेक्षक (विद्युत), समूह 'ख' (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2020 है।

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The Maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications

[F. No. A-12018/16-2018-FPI]

G. K. PILLAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 161.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, और राष्ट्रीय मनेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (समूह 'ग' के पद) भर्ती नियमावली 1980 को, जहाँ तक उसका संबंध स्टोर कीपर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन नेशनल वेंक्टर वॉर्न डिज़ीज कंट्रोल प्रोग्राम में स्टोर कीपर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नेशनल वेंक्टर वॉर्न डिज़ीज कंट्रोल प्रोग्राम, स्टोर कीपर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और इससे उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के मंत्र (2) से मंत्र (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें ये होंगी जो इन अनुसूची के मंत्र (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिम्का पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकारों को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य गिनायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टोर कीपर	01 (2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुमचिचीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25500 81100/- रु.)	अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए शिथिल करके वालीय वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए विभागीय तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विजायित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनिधित्व / आमेलन द्वारा और पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली गिनतियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, स्वशासी या कानूनी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय अथवा स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया या सूचीबद्ध किसी प्राइवेट सेक्टर संगठन में शंकाओं का प्रबंध और लेखा पालन में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव सम्बन्धी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिनके तहत सक्षम पर सीधे भर्ती द्वारा

निम्नी प्रक्रम पर सशम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
--	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने की किस परिस्थितियों में संभव होना संभव आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: स्तर -2 (19900 -63200 रु.) में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने सुसंगत क्षेत्र में दो से चार समाह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा के अन्तिम सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	1. समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- i) संयुक्त निदेशक/उप-निदेशक, नेशनल वेक्टर बोर्ड डिज़ीज कंट्रोल प्रोग्राम - अध्यक्ष ii) दिल्ली/नई दिल्ली में अवस्थित स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/किमी अन्य महानिदेशालय संस्थान में उप-निदेशक - सदस्य iii) प्रशासनिक अधिकारी, नेशनल वेक्टर बोर्ड डिज़ीज कंट्रोल प्रोग्राम - सदस्य 2. समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- i) संयुक्त निदेशक या उप-निदेशक, नेशनल वेक्टर बोर्ड डिज़ीज कंट्रोल प्रोग्राम - अध्यक्ष ii) दिल्ली/नई दिल्ली में अवस्थित स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/ किमी अन्य महानिदेशालय संस्थान में उप-निदेशक - सदस्य iii) प्रशासनिक अधिकारी, नेशनल वेक्टर बोर्ड डिज़ीज कंट्रोल प्रोग्राम - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा.सं. 1-70/2019/प्रशा.]

वैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव

New Delhi, the 4th November, 2020

G.S.R. 161.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Malaria Eradication Programme, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as they relate to the post of Store Keeper, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Store Keeper in the National Vector Borne Disease Control Programme, under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, National Vector Borne Disease Control Programme, Store Keeper (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

किन्हीं प्रक्रम पर महत्व प्राथिकारी या कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		
---	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने की विधि परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग में परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: स्तर -2 (19900 -63200 रु.) में ऐसे अथवा श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने सुसंगत क्षेत्र में दो से चार समाह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां इनमें ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और इन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा के अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।	1. समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- i) संयुक्त निदेशक/उप-निदेशक, नेशनल वेक्टर बोर्ड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम - अध्यक्ष ii) दिल्ली/नई दिल्ली में अवस्थित स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/किमी अन्य महानिदेशालय संस्थान में उप-निदेशक - सदस्य iii) प्रशासनिक अधिकारी, नेशनल वेक्टर बोर्ड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम - सदस्य 2. समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- i) संयुक्त निदेशक या उप-निदेशक, नेशनल वेक्टर बोर्ड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम - अध्यक्ष ii) दिल्ली/नई दिल्ली में अवस्थित स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/ किमी अन्य महानिदेशालय संस्थान में उप-निदेशक - सदस्य iii) प्रशासनिक अधिकारी, नेशनल वेक्टर बोर्ड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम - सदस्य	मान्य नहीं होगा।

[फा.सं. 1-70/2019/पशा.1]

वेद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव

New Delhi, the 4th November, 2020

G.S.R. 161.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Malaria Eradication Programme, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as they relate to the post of Store Keeper, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Store Keeper in the National Vector Borne Disease Control Programme, under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, National Vector Borne Disease Control Programme, Store Keeper (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**— The number of post, its classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

- (i) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or
- (ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age - limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Store Keeper	01* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Level - 4 (Rs.25500-81100/-)	Non-selection	Between 18 and 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation: absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12 th class pass from a recognised Board or University; (ii) One year experience in handling Stores and keeping Accounts in a Store of the Central Government or State Government, autonomous or statutory	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by direct recruitment.

<p>organisation, Public Sector Undertaking or University or in a Private Sector Organization listed on the stock exchanges of India.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority or Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority or Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority or Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>			
---	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>By promotion: Lower Division Clerk in level 2 (Rs. 19900-63200/) with eight years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training in relevant field.</p> <p>Note. - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>1. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>(i) Joint Director/ Deputy Director, National Vector Borne Diseases Control Programme - Chairman.</p> <p>(ii) Deputy Director, Directorate General of Health Services/Any other institution of the Directorate located in Delhi/New Delhi - Member.</p> <p>(iii) Administrative Officer, National Vector Borne Disease Control Programme - Member.</p> <p>2. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>(i) Joint Director or Deputy Director, National Vector Borne Diseases Control Programme - Chairman.</p> <p>(ii) Deputy Director, Directorate General of Health Services / Any other institution of the Directorate located in Delhi/New Delhi - Member.</p> <p>(iii) Administrative Officer, National Vector Borne Disease Control Programme - Member.</p>	Not applicable